

भारतीय मानक ब्यूरो  
(हिंदी विभाग)

संदर्भ : हिंदी /प्रशि./ 2024-25

दिनांक: 25.06.2024


विषय : हिंदी भाषा प्रशिक्षण के जुलाई-नवंबर 2024 सत्र हेतु नामित करना।

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित वर्तमान लक्ष्य के अनुसार सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिन्दी शिक्षण योजना के पत्र संख्या 3/8/2022-23 उनि. (मध्य )/789 दिनांक 23/4/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि हिंदी भाषा प्रशिक्षण का आगामी सत्र जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो रहा है जिसका कार्यक्रम संलग्न है।

विभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि उनके विभाग में जो कर्मचारी हिंदी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष हो उन्हें आगामी कार्यक्रम में पात्रता के अनुसार नामित करें। पात्रता(eligibility) संबंधी निर्देश इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान (working knowledge) प्राप्त हैं वे कृपया अपना नाम हिंदी भाषा के 'पारंगत' प्रशिक्षण हेतु नामित कराएं। कृपया अपने नामांकन विभाग प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में 05.07.2024 तक हिंदी विभाग को भेज दें। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी पात्रता अनुसार नकद पुरस्कार के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण हेतु प्राप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होने पर बीआईएस मुख्यालय में ही प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था रहेगी।

  
(विनोद कालरा)  
प्रमुख (हिंदी)

बीआईएस मुख्यालय के सभी विभागों, एनआईटीएस, केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय को परिचालित।

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE  
हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर क्षेत्र)  
HINDI TEACHING SCHEME (NORTH CENTRAL REGION)

संख्या/No.: 2/8/2022-23/अ.नि. (म)/ 789

दिनांक/Date: 23/4/2024

संज्ञा में,

संपर्क अधिकारी (हिंदी)  
कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी (राजभाषा)  
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,  
दिल्ली, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,  
बिहार, चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर विभाजन प्रदेश, उत्तराखंड, झारखण्ड।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र के नियमित हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति महोदय के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, बैंकों इत्यादि के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।

उक्त आदेश के अनुपालन में उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र जुलाई, 2024 को पहले सप्ताह से प्रारम्भ किया जाएगा। कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 जुलाई, 2024 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जुलाई-नवंबर, 2024 सत्र में हिंदी कक्षाएं ऑफलाइन चलाई जाएंगी। हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत पाठ्यक्रमों के इच्छुक अधिकारियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

...../2-

हिंदी प्रशिक्षण हेतु पात्रता

-2-

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए है। एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं 01 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।)	जो अधिकारी कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं० 21034 66 (2010-गभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इनमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	-वही-
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदी/भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा भरतो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने के लिए एकांतर दिवस 1.30 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (कक्षाएं जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षा नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएगी।)	-वही-
पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यमाध्यक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक इस प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 05 महीने के लिए है एकांतर दिवस 02 घंटे या प्रतिदिन 01 घंटा (कक्षाएं, जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। परीक्षाएं नवंबर 2024 में आयोजित की जाएंगी।)	जो प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय जापन सं०- 21034.69/2008/ गभा(प्रशि0)दिनांक 21.12.2020 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित कार्यालय/विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।	

नोट:-

- जिन कर्मचारियों को कार्यालय में किसी प्रकार का सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं किसी प्रकार का सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- सभी कार्मिक जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।
- राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्रशिक्षण) दिनांक 06 जुलाई, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पारंगत की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन जैसे नकद पुरस्कार व वैयक्तिक वेतन आदि का लाभ मिल सके।

1. प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा विकसित प्रणाली में भरा जाएगा। इसलिए सभी प्रशिक्षार्थियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर उप निदेशक (म.), हिशियों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्व ब्लॉक-7, लेवल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066, (अनुलग्नक-11) भिजवाएं जिससे उनका विवरण सही-सही भरा जा सके।

2. परीक्षा संबंधी सूचना

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नवंबर, 2024 में आयोजित की जाएंगी।
- नियमित व प्राइवेट परीक्षा के लिए प्रशिक्षार्थी का विवरण निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-11) में दिनांक 15.07.2024 तक उप निदेशक (मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो प्रश्न पत्र होते हैं यथा-प्रश्न-पत्र-I व प्रश्न पत्र-II। इनकी परीक्षाओं की अवधि तीन-तीन घंटे की होगी और कुल अंक 100-100 की होगी। इसके अलावा प्राइवेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए मौखिक परीक्षा भी ली जाएगी।

3. परीक्षा शुल्क व भगतान का माध्यम

- केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
- भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी नियमित व प्राइवेट कार्मिकों के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।

4. पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है।
- परीक्षा शुल्क 'भारतीय स्टेट बैंक' की website - [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक (परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

#### 5. पाठ्यपुस्तकें

सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

#### 6. वित्तीय प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की विधीयत अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वित्तीयक धनन प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने वाले उन वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाएगा।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

क्रमिक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55% से 59%	60% से 69%	70% या अधिक
1.	प्रबोध	₹ 400	₹ 800	₹ 1600
2.	प्रवीण	₹ 600	₹ 1200	₹ 1800
3.	प्राज्ञ	₹ 800	₹ 1600	₹ 2400
4.	पारंगत	₹ 4000	₹ 7000	₹ 10000

प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का(जा) सं०-21034/66/2010-रा(भा) (प्रशा) दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें तथा पारंगत परीक्षा के नकद पुरस्कार के संबंध में अधिक जानकारी हेतु राजभाषा विभाग का का(जा) सं०-21034/69/2008-रा(भा) (प्रशा) दिनांक 21 दिसंबर 2020 देखें।

7. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(ब) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के संकाय सदस्य द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

8. नया केंद्र खोलने के संबंध में

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो हर कक्षा के लिए कम से कम 20 से 25 प्रशिक्षार्थियों को नामित करना सुनिश्चित करें। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.07.2024 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय रहते नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

9. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुक्तों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए अपने कार्यालय के शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सहायक होगा।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- सभी मंत्रालयों से यह भी अनुरोध है कि वे हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट (अनुलग्नक-111) समय पर भेजें।

उपनिदेशक(मध्योत्तर) के अंतर्गत अंशयित हिन्दी प्रशिक्षण केंद्रों के नाम व पते  
(सत्र नवम्बर-नवंबर, 2024)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र
1.	हिन्दी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66
2.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर टाउन, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली
4.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन, नई दिल्ली
5.	रेल भवन, रेल मंत्रालय, सयशिला मार्ग, नई दिल्ली
6.	वायुसेना स्टेशन, तुलनाबाद, नई दिल्ली
7.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली
8.	भारतीय खेल प्राधिकरण, अटलांटिक स्टेडियम, नई दिल्ली।
9.	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेक्टर - 13, आर.के.पुरम नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली
11.	भविष्य निधि संगठन भीकानजी कामा फ्लैज, नई दिल्ली-110066
12.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली-22
13.	फुटबल डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेक्टर-24, नौएडा
14.	सी-डेक, सेक्टर-62, नौएडा
15.	56 एएसपी, एयरफोर्स स्टेशन, डब्ल्यूआ.कोलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
16.	सी. आई. एस. एफ., न्यू प्रेस कॉलोनी, हार्दियार चौक, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
17.	राष्ट्रीय समिति व भवन सामग्री परिषद, डि. लो. मधुवा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
18.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महारथेभावन का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़
19.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़
20.	आई टी बी पी, भानु चण्डीगढ़
21.	सी आर पी एफ, लालबास, जयपुर
22.	सीमा सुरक्षा बल, लबाना कैंप, जयपुर
23.	सी आई एस एफ, आभार, जयपुर
24.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, देवली
25.	हिन्दी शिक्षण योजना जम्हू गणवालय जम्मू

\* संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार

संपर्क सूत्र

<p>कार्यालय का पूरा पता :</p> <p>उपनिदेशक(मध्योत्तर) हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्वी खंड-7, लोयल-6, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 दूरभाष : 26175246, 26191572</p>		
<p>डॉ० पी० वी० राधिका सहायक निदेशक व कार्यालयध्यक्ष मो० 9444622262 ई० मेल <a href="mailto:chti1185@nic.in">chti1185@nic.in</a> <a href="mailto:ddhts-nc-dol@nic.in">ddhts-nc-dol@nic.in</a></p>		<p>डॉ. श्री रामेश्वर लाल मीना सहायक निदेशक मो० 9018451848 ई० मेल-<a href="mailto:chti1272@nic.in">chti1272@nic.in</a></p>
सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक का नाम	मोबाइल नम्बर	ई.मेल आई डी
1. श्रीमती नीपा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9899989821	<a href="mailto:chti1227@nic.in">chti1227@nic.in</a>
2. श्री राजकुमार बाल्मिकी, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9971953257	<a href="mailto:chti1260@nic.in">chti1260@nic.in</a>
3. श्रीमती सीमा शर्मा, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9900197892	<a href="mailto:chti1267@nic.in">chti1267@nic.in</a>
4. श्रीमती शोभा कुचूर, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9820349234	<a href="mailto:chti1270@nic.in">chti1270@nic.in</a>
5. श्रीमती सुनीता यादव, सहायक निदेशक, (नई दिल्ली)	9854009808	<a href="mailto:chti1284-dol@gov.in">chti1284-dol@gov.in</a>
6. सुश्री आकांक्षा मिश्रा, सहायक निदेशक (नई दिल्ली)	8720910570	<a href="mailto:chti1287-dol@nic.in">chti1287-dol@nic.in</a>
7. श्रीमती किरण लता यादव(हिंदी प्राध्यापक (नई दिल्ली))	9044220163	<a href="mailto:chti1299-dol@nic.in">chti1299-dol@nic.in</a>
8. श्रीमती पूनम, हिंदी प्राध्यापक, नई दिल्ली	9306096497	<a href="mailto:chti1305@nic.in">chti1305@nic.in</a>
9. सुश्री सरोज बाला, हिंदी प्राध्यापक, (नई दिल्ली)	7976566754	<a href="mailto:chti1314-dol@gov.in">chti1314-dol@gov.in</a>
10. श्री राजेश कुमार मीना, सहायक निदेशक, (जयपुर)	9460474143	<a href="mailto:chti1277@nic.in">chti1277@nic.in</a>
11. श्री महेश कुमार मीना, सहायक निदेशक (देवली, राज.)	9508155071	<a href="mailto:maheshgudli007@gmail.com">maheshgudli007@gmail.com</a>
12. डॉ. श्रीमती उर्मिला सेनी, सहायक निदेशक, (बड़ौदा)	8279230752	<a href="mailto:dr.umilasaeni21@gmail.com">dr.umilasaeni21@gmail.com</a>



सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें साथ ही अपने कार्यालय का दूरभाष/ फेक्स नंबर एवं ई मेल का पता भी भेजें जिससे पत्राचार में सुविधा हो।  
अधिक जानकारी के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in) को देखने का कष्ट करें।

भवदीया,  
23.04/2024  
(डॉ.पी0 वी0 राधिका)  
सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

पृष्ठांकन सं. 3/8/2023-उ.नि.(मध्योत्तर)/ 389  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 23.04.2024

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तलपट्टित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पट्टित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक (परीक्षा), आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक (भाषा), कार्यशाला पत्राचार एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि), आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू चंडीगढ़/जयपुर/देवली (राजस्थान)

23/4/2024  
(डॉ.पी0 वी0 राधिका)  
सहायक निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

नामन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालयका पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:

दिनांक

(हस्ताक्षर.....)

नामित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम.....

कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर व ई मेल सहित

.....  
.....  
(कार्यालय की मोहर)

उप निदेशक का कार्यालय (मध्योत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली  
प्रशिक्षार्थी विवरण का प्रपत्र

प्रशिक्षण केंद्र का नाम:

प्रशिक्षण सत्र :

कक्षा का नाम : (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत)

प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name of candidate (BLOCK LETTERS)
लिंग (स्त्री/पुरुष/अन्य)	Gender (M /F/ other)
पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/ Husband's name:
प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में):	Designation of the candidate:
मातृभाषा:	Mother tongue:
हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर:	Knowledge of Hindi:
मंत्रालय (हिंदी में):	Name of Ministry:
विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department:
नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम :	Name & Designation of the Nominating officer:
कार्यालय का पूरा पता (हिंदी में): ईमेल आई.डी./दूरभाष	Full office address With E. mail id/ phone:
परीक्षा शुल्क भरने का बैंक विवरण। Bank details of Examination Fees:	
दूरभाष: Phone/mobile	
ई-मेल आई.डी.: E.mail Id of the candidate	

Note: Please fill up this form in bilingual

दिनांक :

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्धवार्षिक रिपोर्ट  
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

		1	2	3	4	5
		प्रशासनिक अधिकारी		प्रचालन अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	मद सं0 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, पारंगत तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की संख्या					
3.	मद सं0 1 में से	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।				
4.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।				

5.	मद सं0 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।					
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।					
6.	वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।					
7.		जिनके लिए टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।					

कार्यालय अध्यक्ष का नाम.....

दूरभाष संख्या.....

ई-मेल .....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर .....

मोहर सहित  
दूरभाष संख्या